राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र सं0	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
29/2017	09.03.2017	20.04.2018

अनुवान

1. हरिप्रसाद
2. अनिल
3. अशोक पुत्रान श्री राधेश्याम जाति खाती निवासी मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री उमराव जाति खाती निवासी मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर।
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः–धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति

1 श्री सरजीत कुमार वकील– प्रार्थीगण

2 सत्यवीर सिंह चौहान वकील– अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 20.04.2018

आज ये पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि आराजी खसरा न0 807/0.54, 808/0.63, 872/0.13, 885/0.25, 890/0.08, 892/0.25, 893/0.15, 894/0.30, 900/0.25, 901/0.48, 902/0.39, 903/0.32, 904/0.32, 905/0.37, 906/0.23, 907/0.52 है0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 व तरतीबी सं0 4 व 5 की सयुक्त परिवार की पैत्रिक आराजी है जो अप्रार्थी सं0 1 राधेश्याम को हम प्रार्थीगण के दादा उमराव से जरिये विरासत सं0 1283 व 1374 से प्राप्त हुई है जिसमे हम प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा व हक है अपने नाम कराने के अधिकारी है। चूंकि वर्तमान में विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम रिकार्ड में दर्ज है तथा उसकी उम्र ज्यादा होने से दिमाकी संतुलन खराब रहता है जो अपना व अपने बच्चो के हित व भला बुरा सोचने में असमर्थ है तथा विना किसी पारिवारिक आवश्यकता के बेचान करने की जुतसजु में है तथा तरतीवी अप्रार्थी सं04 के बहकावे में है जिसने दिनांक 01.02.2017 करे एलानिया गांव में कहा कि मेरी जमीन का सौदा हो गया है मै बयनामा शीघ्र कराऊंगा। बेचान का सौदा करने व बयनामा की धमकी देने से बिनायदावी व बिनायमुखासमक पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम रिकार्ड अनुसार जाने की स्थिति में अप्रार्थी सं0 1 हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे कही रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की बाद विधिवत तलवी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके मुताबिक प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के जिम्नों को अस्वीकार करते हुए विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक संयुक्त परिवार की आराजी नहीं है ना ही मिन अप्रार्थी को मृतक उमराव से विरासत में प्राप्त हुई सजरा खानदान भी गलत दर्ज किया है अंकित करते हुए जरिये रजिस्टरर्ड बयनामा दिनांक 14.06.1982 को मातादीन पुत्र सूंडिया से खरीद किया जाना तथा शेष 1/2 भाग जरिये वसियत इन्तकाल सं0 1375 प्राप्त होना अंकित करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा, खर्चा खारिज किया जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई दोराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जिम्नों को दोहराते हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित वसीयत के सम्बन्ध में निवेदन किया कि वसीयत केवल पिता उमराव द्वारा अपने पुत्र राधेश्याम के नाम जो अप्रार्थी सं01 प्रार्थीगण के पिता है के नाम कर दिये जाने मात्र से विवादित आराजी वसीयत द्वारा अर्जित आराजी नहीं हो सकती बल्कि दादालायी आराजी ही स्पष्ट शाबित है जो प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2046 से शाबित है का कथन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन रहा एवं वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिम्नो को दोहराते हुए विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 की खरीद सुदा एवं वसीयत के आधार पर प्राप्त होना जाहिर करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानता से मनन करने के उपरान्त अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी जरिये वसीयत प्राप्त होने वाले बिन्दु अनुसार वसीयतनामा दिनांक 22.07.92 जो पिता उमराव द्वारा अपने ही पुत्र राधेश्याम के ही हक में वसीयत किया गया है के अनुसार भी विवादित आराजी स्पष्ट रूप से दादालायी आराजी शाबित होती है।

इस प्रकार से विवादित आराजी दादालायी आराजी होने की स्थिति में प्रथम दृष्टीया का बिन्दु अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध होकर प्रार्थीगण के हक में शाबित पाया जाता है और जब प्रथम दृष्टिया का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में शाबित पाये जाने की स्थिती में सुविधा का संतुलन वाला बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में ही स्पष्ट रूप से शाबित पाया जाता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया का बिन्दु एवं सुविधा का संतुलन दोनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के हक में शाबित पाये जाने की स्थिती में नापूर्ति होने वाली क्षति भी अप्रार्थी सं0 1 को ना होकर प्रार्थीगण को ही होना शाबित पायी जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

-:आदेश:-

अतः यह न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा न0 807/0.54, 808/0.63, 872/0.13, 885/0.25, 890/0.08, 892/0.25, 893/0.15, 894/0.30, 900/0.25, 901/0.48, 902/0.39, 903/0.32, 904/0.32, 905/0.37, 906/0.23, 907/0.52 है0 वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत अप्रार्थी सं0 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त हिस्से आराजी में मजहामत पैदा ना करे नाहि उक्त विवादित आराजी को कही रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ही करे रिकार्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक यथावत बनायी रखे, पाबन्द रहे।

आज दिनांक 20.04.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.04.18

(महेश चन्द्र माना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner